आवेदन पत्र

(कोविड–19 से मृत्यु के संबंध में अनुग्रह राशि हेतु आवेदन)

प्रति,

कलेक्टर एवं
अध्यक्ष
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

विषय– श्री/श्रीमती/सुश्री.................................की कोविड–19 से मृत्यु के संबंध में राज्य आपदा मोचन निधि से अनुग्रह राशि प्राप्त करने बाबत्।

———000———

मैं.........................उम्र.....................पिता/पति.............................
पता..
....
....
विषयांतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। यह कि श्री/श्रीमती/सुश्री..........
...............उम्र...................की मृत्यु कोविड–19 से दिनांक.............................को स्थान..................में हुई है। मैं मृतक/मृतिका का निकट संबंधी हूँ तथा मृतक/मृतिका से मेरा संबंध
.....................का है। इस आवेदन पत्र के साथ मृत्यु विनिश्चियन समिति (CDAC) द्वारा कोविड–19 से मृत्यु के संबंध में जारी प्रमाण–पत्र संलग्न है। मेरा बैंक खाता कमांक
..............................है, जो आधार नंबर......................................से लिंक है। कृपया मेरे बैंक खाते में अनुग्रह राशि रुपए 50,000/– अंतरित करने का कष्ट करें।

संलग्न–

1. CDAC द्वारा जारी कोविड–19 से मृत्यु के संबंध में प्रमाण–पत्र।
2. आवेदक के आधार नंबर की छायाप्रति।
3. आवेदक के बैंक खाते के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम..............................
पूरा पता.......................................
....
मोबाईल नंबर.................................

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक एफ 1–196/राजस्व/राहत/2021/947 नवा रायपुर दिनांक 24/09/2021
प्रति,

समस्त कलेक्टर/अध्यक्ष
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
छत्तीसगढ़।

विषय:– कोविड–19 के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों/आश्रितों को अनुदान सहायता देने के संबंध में दिशा–निर्देश ।

—00—

विषयांतर्गत भारत सरकार गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली का पत्र क्रमांक No. 16/11/2021-RR दिनांक 11.09.2021 की प्रति संलग्न है। माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के निर्णय दिनांक 30.06.2021 W.P.(C) संख्या 539/2021 और W.P.(C) संख्या 554/2021 के अनुसरण में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 12(iii) के तहत कोविड–19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुदान सहायता (Ex-gratia) देने हेतु दिशा–निर्देश जारी किया गया है ।

2/ कोविड–19 एक अभूतपूर्व आपदा है, पिछले डेढ़ वर्षों से वायरस के नए वेरिएंट के प्रभाव से मृतकों की संख्या में वृद्धि जारी है। यह महत्वपूर्ण है कि राज्य में विशिष्ट आपदाओं के लिए समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए राज्य आपदा मोचन निधि के तहत पर्याप्त निधि उपलब्ध हो । यद्यपि कोविड–19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुदान सहायता राजस्व पुस्तक परिपत्र 6–4 में निहित प्रावधान अनुसार प्रदान नही की जाएगी । राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कोविड–19 से मृत प्रति व्यक्ति के लिए 50,000.00 रुपये (पचास हजार) निर्धारित किए हैं । अनुदान सहायता राशि राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत प्रदान की जाएगी ।

3/ संचालक स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोविड–19 से 22 सितंबर 2021 तक कुल 13563 व्यक्तियों की मृत्यु दर्ज की गई है । उसकी जिलेवार जानकारी संलग्न है । संबंधित परिवार विभाग द्वारा जारी निर्धारित आवेदन पत्र के माध्यम से अपने दावे प्रस्तुत करेंगें। निर्धारित आवेदन–पत्र का प्रारूप संलग्न है। आवेदक के पास CDAC द्वारा जारी COVID-19 से मृत्यु के संबंधित आधिकारिक प्रमाण–पत्र होना अनिवार्य है।

4/ यह जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए)/जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे मृत व्यक्तियों के निकटतम संबंधी/आवेदक को अनुदान राशि आधार लिंक्ड प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) की प्रक्रिया के माध्यम से भुगतान करेंगे एवं अनुदान सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया सरल तथा आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए ।

5/ अपने जिले में प्रचार–प्रसार के माध्यम से नागरिकों को इस सहायता के बारे में जागरूक करें तथा दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

यह उपयुक्त होगा कि प्रत्येक तहसील कार्यालय तथा जिला कार्यालय में कार्यालयीन समय में एवं नगर निगम क्षेत्र के जोन मुख्यालय में भी आवेदन प्राप्त करने हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्राप्त सभी आवेदनों को कलेक्टर अपने स्वयं की निगरानी में जाँच एवं सत्यापन करना सुनिश्चित करें।

अतः कोविड–19 से मृत व्यक्ति के परिजनों से प्राप्त पात्र आवेदन–पत्र के आधार पर मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुदान सहायता उपलब्ध कराने की कार्यवाही करें तथा आबंटन हेतु मांग पत्र इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

R. Shandilya

(रीता शांडिल्य)
राहत आयुक्त / सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ०क्रमांक एफ 1–196 / राजस्व / राहत / 2021/ 958 नवा रायपुर दिनांक 24/09/2021

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
5. समस्त संभागीय आयुक्त रायपुर / बिलासपुर / बस्तर / दुर्ग / सरगुजा

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

R. Shandilya

राहत आयुक्त / सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग